न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्रमांक : ...../2009

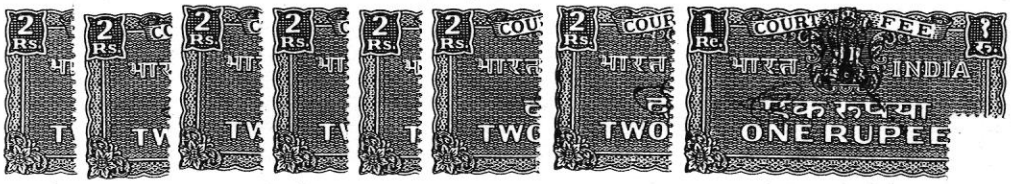

R-259-II/09

श्रीमती दुर्घटिया पत्नी रामखेलावन लोहार, उम्र 50 वर्ष, पेशा घरुकार्य, निवासी ग्राम चोरहा, तहसील हनुमना, जिला–रीवा (म.प्र.)

..... निगरानीकर्ता

बनाम

बाबूलाल बसोर तनय सुखई बसोर, उम्र 45 वर्ष, पेशा मजदूरी, निवासी ग्राम चोरहा, पटवारी हल्का मिसिरगवां, तहसील हनुमना, जिला–रीवा (म.प्र.)

..... गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 31.01.2009 द्वारा पारित कमिश्पर महोदय, रीवा संभाग रीवा, प्रकरण क्रमांक 47/निगरानी/08–09 बाबूलाल बनाम श्रीमती दुर्घटिया।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 इर्स्वी।

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :–

1. यह कि आराजी नंबर 119, रकबा 5.79 एकड़, स्थित ग्राम चोरहा, पटवारी हल्का मिसिरगवां, तहसील हनुमना, जिला रीवा म.प्र. के समक्ष गैरनिगरानीकर्ता ने झूठे तथ्यों के आधार पर माननीय अपर जिलाध्यक्ष महोदय रीवा की अदालत में निगरानी, निगरानीकर्ता के विरुद्ध प्रस्तुत की, जिसमें निगरानीकर्ता ने धारा 11 एवं 12 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही साथ धारा 209 भा.द.सं. के अपराध किये जाने का आवेदन–पत्र भी गैर निगरानीकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R259-I/09 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2/2/16	मेरे द्वारा प्रकरण में निगराकार के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने गए। उन्होंने तर्क में कहा कि अपर कलेक्टर, रीवा के प्र.क्र.-59/अ19/नि/08-09 में पारित आदेश दि 8.10.08 की नकल हेतु आवेदन उन्होंने दि-13-10.08 को ही प्रस्तुत कर दिया था, किन्तु नकल उन्हें 24.1.09 को मिली थी। इसके समर्थन में उन्होंने आदेश दि 8.10.08 की प्रति प्रस्तुत की जिसमें नकल प्रक्रिया संबंधी सील में नकल आवेदन दि. 13.10.08 एवं नकल प्राप्ति दि. 24.1.09 को होना लिखा है। इस आधार पर उन्होंने तर्क किया कि आयुक्त, रीवा द्वारा उनके आक्षेपित आदेश दि 31.1.09 से उनके समक्ष निगरानी के प्रस्तुतिकरण में 3 माह 20 दिन का विलम्ब और धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत नहीं होने के जो आधार लिखे जाकर प्रकरण निरस्त किया गया है, वह अनुचित है। तर्कों पर विचार एवं उपलब्ध अभिलेख के परिशीलन से मैं स्वयं को विद्वान अधिवक्ता की इस बात से सहमत पाता हूँ कि, चूंकि निगराकार को आदेश दि 8-10.08 की नकल ही विलम्ब से प्राप्त हुई थी जबकि उन्होंने	

[कृ. प. उ.

R-259-I/09 रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नकल का आवेदन आदेश दि 8.10.08 के पांचवे दिन ही लगा दिया था, और चूंकि उन्होंने नकल प्राप्त होने के पांच दिन में ही आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर दी थी, अतः आदेश दि 8.10.08 से निगरानी प्रस्तुतिकरण दि 29.1.09 के मध्य की अवधि में उनकी (निगराकार की) ओर से केवल दस दिन का ही विलम्ब कारित हुआ था, जिसके लिए उन्हें धारा 5 का आवेदन लगाने की ज़रूरत नहीं थी। शेष काल का अवसान नकल उपलब्ध कराने वाले कार्यालय द्वारा नकल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में किए गए विलम्ब के कारण हुआ था। उक्त तथ्यों एवं विवेचना के प्रकाश में एवं आधार पर, मैं आयुक्त, रीवा का आक्षेपित आदेश दि 31.1.09 एतद् द्वारा निरस्त करता हूँ, तथा आयुक्त, रीवा को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय के प्र.क्र. 47/निग/08-09 में समयबाधा/परिसीमा के बिन्दु को विद्यमान नहीं मानें, तथा प्रकरण का निराकरण विधिवत गुणदोष के आधार पर करें। आदेश पारित। पक्षकार एवं आयुक्त, रीवा सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो।	

सदस्य

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.